केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय
सेन्ट्रल एक्साइज बिल्डिंग, रेसकोर्स, वडोदरा-390 007

व्यापार सूचना सं. 04/2010
वडोदरा, दिनांक : 10.08.2010

विषय : के.उ. शुल्क परिपत्र का परिचालन ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्र की प्रति आपकी सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए इस पत्र के साथ प्रेषित् है :-

क्रमांक	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	Circular No. 927/17/2010-CX	24.06.2010

सभी व्यापार संघों/वाणिज्य मंडलों एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि इस सार्वजनिक सूचना को सभी सदस्यों के ध्यान में ला दें ।

(डॉ. आशिर त्यागी)
अपर आयुक्त (तक.),
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क,
वडोदरा-I

संलग्न : यथोपरि ।

फा.सं. IV/16-11/TN/Tech/08 Pt.I वडोदरा, दि. 10.08.2010

प्रतिलिपि प्रेषित् :- व्यापार तथा विभागीय डाक के अनुसार ।

\\192.168.24.2\ashu\Technical Section.doc

Circular No. 927/ 17 /2010-CX

F. No. 167/17/2010-CX.4
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise & Customs, New Delhi

New Delhi the 24 June 2010

To,

All Chief Commissioners of Central Excise (Including LTU)
All Commissioners of Central Excise (Including LTU)
All Director Generals

Sir/Madam

Subject: Whether process of pickling and oiling would amount to manufacture - reg

It has been represented to the Board that certain units are undertaking the process of pickling and oiling in addition to process of de-coiling, cutting and slitting and whereas by circular No 811/08/2005-CX dated 02.03.2005 it has been clarified that processes of de-coiling, cutting and slitting do not amount to manufacture.

2. As per ASM Metal Reference Book, Third Edition page 65 *"Pickling is removing surface oxides from metals by chemical or electro chemical reaction"* and pickle means *"the chemical removal of surface oxides (scale) and other contaminants such as dirt from metal by immersion in an aqueous acid solution."* Therefore it can be said that the process of pickling is only a chemical cleaning process to remove scales and dirt from the metal by immersion in chemical solution and does not result in emergence of any new commercially different commodity.

3. For a process to amount to manufacture under Section 2f of the Central Excise Act, 1944, the process undertaken should result in emergence of commodity having different name, character and use. Since in the present case no new product emerges as a result of the process of pickling it will not amount to manufacture.

4. The tribunal has in the case of Resistance Alloys [1996 (84) ELT 507 (T)] & Bothra Metal Industries [1998 (99) E.L.T. 120 (Tribunal)] held that the process of pickling being preparatory process to drawing of wire does not amount to manufacture.

5. Therefore it is clarified that mere undertaking the process of oiling and pickling as preparatory steps do not amount to manufacture.

PTO

6. The trade and the field formations may be suitably informed.

7. Hindi version will follow.

8. Receipt of this Circular may please be acknowledged.

Yours faithfully

24/6/2010

(Madan Mohan)
Under Secretary (CX-4)

(१)

परिपत्र सं.927/17/2010-सी एक्स

फा.सं.167/17/2010-सी एक्स-4
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क
Office of the Commissioner of Central Excise & Customs
9 JUL 2010
बड़ौदा-I Baroda-I

नई दिल्ली, दिनांक: 24 जून, 2010

सेवा में,

सभी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एल टी यू सहित)
सभी आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एल टी यू सहित)
सभी महानिदेशक

आरा

3. आयुक्त (तकनीकी)

महोदय/महोदया,

विषय:- क्या अम्ल-मार्जन करने और तेल डालने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाएगी-संबंधी ।

बोर्ड को अभ्यावेदन मिला है कि कतिपय यूनिटें क्वायल नष्ट करने, काटने और चीरने की प्रक्रिया के अलावा अम्ल-मार्जन करने तथा तेल डालने की प्रक्रिया में संलग्न हैं जबकि परिपत्र सं.811/08/2005-सी एक्स, दिनांक 02.03.2005 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि क्वायल नष्ट करने, काटने और चीरने की प्रक्रिया उत्पादन नहीं है।

2. ए एस एम मेटल रेफरेन्स बुक तीसरा संस्करण, पृष्ठ 65 के अनुसार 'पिकिलिंग रसायन अथवा इलेक्ट्रो रसायन प्रतिक्रिया द्वारा धातुओं से ऊपरी ऑक्साईड को हटाना है" और पिकल का अर्थ है "एक्वस एसिड घोल में डुबाकर धातु से ऊपरी ऑक्साईड (परत) तथा धूल जैसे अन्य तत्वों को रसायन द्वारा हटाना" इसलिए यह कहा जा सकता है कि पिकलिंग की प्रक्रिया रासायनिक घोल में डुबाकर धातु से परतों और धूल को हटाने के लिए केवल रासायनिक सफाई प्रक्रिया है और इसके परिणामस्वरूप नए वाणिज्यिक रूप से भिन्न वस्तु का उत्पादन नहीं होता है।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2च के अंतर्गत उत्पादन के बराबर की प्रक्रिया के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के परिणामस्वरुप भिन्न नाम, स्वरुप और उपयोग के नए वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। चूंकि वर्तमान मामले में पिकलिंग की प्रक्रिया के परिणामस्वरुप किसी नए उत्पाद का उत्पादन नहीं होता है, यह उत्पादन नहीं कहलाएगा।

कृ० पृ०उ०

4. न्यायाधिकरण ने रेसिसटेन्स अलॉयज [1996(84) ई एल टी 507(टी)] एवं बोथरा मेटल इंडस्ट्रिज [1998(99) ई एल टी 120(न्यायाधिकरण)] के मामले में निर्णय दिया कि पिकलिंग की प्रक्रिया तार निकालने की प्रारंभिक प्रक्रिया होने के नाते उत्पादन नहीं है।

5. इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक कदम के रूप में केवल तेल डालना और अम्ल मार्जन की प्रक्रिया अपनाना उत्पादन नहीं है।

6. व्यापार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को उपर्युक्त रूप से सूचित किया जाए।

7. परिपत्र की पावती कृपया भेजी जाए ।

भवदीय,

(मदन मोहन)
अवर सचिव (सी एक्स-4)